27

Annexure-II

FORM-II

(For projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector, Betul.

No.-FRA/2018/13/4767 Dated 25-06-2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) , Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (**"FRA"**, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that *7.002* hectare of forest land proposed to be diverted in favour of ***E.E. Water Resources Divi.No.2 Betul (For Minor Tank Probhudhana).*** (name of user agency) for ***Dam*** district falls within jurisdiction of ***Villages Chouki, Betul Tahsil & Prabhudhan (Ratamati) Village in Bhainsdehi Tahsil.*** village(s) in ***Bhainsdehi.*** tehsils.

It is further certified that :

a- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire *7.002* hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting's of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Forest Rights Committee(s) Betul and the District Level Committee are enclosed as annexure *A* to B annexure ---------

b- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

c- the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of ***Chouki/Prabhudhana (Ratamati).*** villages(s) is enclosed as annexure *A* to annexure B.

d- the discussion and decisions on such proposals has taken pace only when there was a quoram of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

e- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

f- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1){e} of the FRA.

Encl.: **As above.**

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

SHASHANK MISRA
COLLECTOR
DISTT.-BETUL

कार्यालय ग्राम पंचायत रातामाटी (प्रभूढाना) जनपद पंचायत भीमपुर

ग्रामसभा बैठक कार्यवाही पंजी ग्रामसभा रातामाटी

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव	निर्णय	पास हुए प्रस्ताव	सदस्यों के हस्ताक्षर / अगूठे का निशान
१	२	३	४	५	६	७
21.03.2018	उपस्थिति पंजी अनुसार कुल सदस्य 1072	1	वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम प्रभूढाना (विकासखण्ड भीमपुर) के लघू जलाशय हेतु ग्राम सभा अनापत्ती प्रमाण पत्र एवं अनुमोदन बाबत्।	ग्राम सभा रातामाटी प्रभूढाना के समक्ष कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) बैतूल के पत्र क्रमांक/ 2018 /वनाधिकार/ 13/2141/दिनांक 16 मार्च 2018 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी भीमपुर के दिये गये निर्देशानुसार प्रभूढाना लघू जलाशय निर्माण कार्य हेतु रकबा 2.044 हेक्टेयर का अनापत्ती प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव चाहा गया है। इस हेतु उक्त प्रकरण में प्रभावित ग्रामसभा भूमि हेतु प्रभूढाना रातामाटी में विशेष ग्रामसभा आयोजित की जाकर स्थानिय भाषा में ग्रामसभा के पदाधिकारी एवं जनसामान्य नागरिको ग्रामीण जनों को समझाईश दी गई बैठक कार्यवाही विवरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रभावित ग्राम में कोई दावा निराकरण हेतु शेष नही है। एवं कोई भी अधिकार व्यक्तिगत सामूदायिक निस्तार रूठिजन्य अन्य परम्परागत अधिकार प्रभावित नही हो रहे है तथा विशेष पिछडी हुई जनजातियों के अधिकार प्रभावित तो नही हो रहे है। उक्त जलाशय निर्माण कार्य में ग्राम रातामाटी के किसानों की भूमि प्रभावित हो रही है। उन्हे अनिवार्यतः लिखित सूचना दी जाकर ग्रामसभा में बुलाया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उक्त आशय की जानकारी ग्रामसभा में हिन्दी भाषा एवं स्थानिय भाषा गोंडी, कोरकू में वाचन किया जाकर ग्राम सभा के समक्ष वाद अनुवाद कर जिला स्तरीय पत्र द्वारा जारी निर्देश की समझाईश दी गई। ग्रामसभा में चर्चा उपरान्त सर्व अनुमति से निर्णय पारित किया गया कि, ग्राम प्रभूढाना रातामाटी में लघू जलाशय का निर्माण कार्य होना है। इस हेतु ग्राम प्रभूढाना रातामाटी का खसरा क्रमांक 418, 515/1, 515/3, 351/1 में रकबा क्रमशः 0.380, 0.995, 0.195, 0.474 कुल 2.044 हेक्टेयर 0.060 पर बड़े झाड़ का जंगल मद निर्माण कार्य में आने के फलस्वरूप ग्रामवासी कृषकों ग्राम प्रभूढाना रातामाटी ग्रामसभा दिनांक 21-03-2018 द्वारा अपनी भूमि उक्त निर्माण कार्य की सहमति ग्राम सभा के समक्ष प्रदान की गई। साथ ही वनाधिकार की मान्यता 2006 अन्तर्गत ग्राम में किसी का भी दावा निराकरण हेतु किसी भी प्रकार का शेष नही है। उक्त निर्माण कार्य किये जाने में आने वाले ग्रामीण कृषकों की भूमि अन्तरित होने पर किसी को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ती नही है। प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित कर कार्यवाही विवरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भीमपुर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कलेक्टर महोद्य तथा जल संसाधन विभाग भीमपुर / बैतूल को भेजा जावे।	प्रस्ताव सर्व सहमति से पास किया गया	सदस्यों के हस्ताक्षर उपस्थिति पंजी में दर्ज है।

सचिव
ग्राम पंचायत रातामाटी

सरपंच
ग्राम पंचायत रातामाटी
ग्राम पंचायत रातामाटी

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति भैसदेही की बैठक दिनांक 25.05.2018 की कार्यवाही विवरण :—

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 नेयम 2008 के तहत उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति भैसदेही की समीक्षा बैठक दिनांक 25.05.2018 को ातः 11:00 बजे से अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) की अध्यक्षता में अयोजित की गई। बैठक में नेम्नांकित सदस्यगण एवं अधिकारीगण उपस्थित हुए।

1. श्रीमान राकेशसिंह मरकाम, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही अध्यक्ष
2. श्रीमान एल्विन बर्मन, अनुविभागीय अधिकारी (वन विभाग) भैसदेही सदस्य
3. श्रीमान एन.एस रघुवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज0पं0 भैसदेही सदस्य/सचिव
4. माननीय श्री दारासिंग सलामें, सदस्य ज0 प0 भैसदेही सदस्य
5. माननीय श्री दिनेश इवने, सदस्य ज0 प0 आठेनर सदस्य
6. माननीया श्रीमती सुनिता उइके, सदस्य ज0 प0 भीमपूर सदस्य

प्रस्ताव कमांक (1) :— अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 , नियम 2008 के अंतर्गत ग्राम रातामाटी (प्रभुढाना) के प0ह0न0 22 तह0 भैसदेही के खसरा क्रमांक 416 , 418 515/1, 515/3, एवं 351/1 में सें कुल रकबा कमांक 2.104 हेक्टेयर पर बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज भूमि पर ग्राम रातामाटी (प्रभुढाना) लघु जलाशय निर्माण हेतु भूमि मद व्यपवर्तन के संबंध में विचार एवं अनुमोदन बाबत् ।

निर्णयः— उपखण्ड स्तरीय की बैठक दिनांक 25.05.2018 में उपस्थित समस्त सदस्यो के द्वारा सर्वसम्मिति से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ग्राम रातामाटी प0ह0न0 22 तह0 भैसदेही के खसरा कमांक 416 , 418 515/1, 515/3, एवं 351/1 में सें कुल रकबा कमांक 2.104 हेक्टेयर (बड़े झाड़ का जंगल मद) शासकीय मदं में दर्ज भूमि पर ग्राम रातामाटी (प्रभुढान) लघु जलाशय के निर्माण किये जाने हेतु भूमि व्यपवर्तन हेतु ग्रामसभा रातामाटी (प्रभुढाना) को कोई आपत्ति नही होने एवं लघु जलाशय निर्माण हेतु उपरोक्त चयनित भूमि रकबा 2.104 हेक्टेयर पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत व्यक्तिगत अधिकार , सामुदायिक अधिकार, अन्य पराम्परागत अधिकार,रूढ़िजन्य अधिकार एवं निस्तार के अधिकार निहित नही है एवं उक्त भूमि पर कोई भी अधिकार प्रभावित नही हो रहे है। उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि 2.104 हेक्टेयर पर ग्राम रातामाटी (प्रभुढाना) के कोई भी दावेदार को वन अधिकार का दावा दिया जाना शेष नही है। अतः उक्त भूमि

ई भी वन अधिकार का दावा ग्रामसभा में शेष नही है, इस संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा भी क्त आशय का प्रमााण पत्र जारी किये जावे व भूमि मद व्यपवर्तन हेतु सभी सदस्यो द्वारा सहमति प्रदान र सर्व सम्मति से निर्णय पारित कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त पारित प्रस्ताव/ निर्णय की कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की ओर चित आवश्यक कार्यवाही हेतु शीघ्र भेजी जावें।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

अनुविभागीय अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी
वन विभाग भैसेदही	जनपद पंचायत भैंसदेही	(राजस्व) भैसदेही

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही जिला–बैतूल (म.प्र.)

क्र /उप.स्त.स./वन.अधि./स्था./ 2018/ भैंसदेही दिनांक /05/2018

–:प्रमाण–पत्र:–

प्रमाणित किया जाता है कि उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.05.2018 में उपस्थित समस्त सदस्यो द्वारा अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 , नियम 2008 के अंतर्गत ग्राम रातामाटी (प्रभुढाना) के प0ह0न0 22 तह0 भैसदेही के खसरा क्रमांक 416 , 418 515/1, 515/3, एवं 351/1 में सें कुल रकबा कमांक 2.104 हेक्टेयर पर बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज भूमि पर प्रभुढाना एवं लघु जलाशय निर्माण हेतु भूमि मद व्यपवर्तन के संबंध में सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपखण्ड स्तरीय की बैठक दिनांक 25.05.2018 में उपस्थित समस्त सदस्यो के द्वारा सर्वसम्मिति से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ग्राम रातामाटी प0ह0न0 22 तह0 भैसदेही के खसरा कमांक 416 , 418 515/1, 515/3, एवं 351/1 में सें कुल रकबा कमांक 2.104 हेक्टेयर (बड़े झाड़ का जंगल मद) शासकीय मदं में दर्ज भूमि पर ग्राम रातामाटी (प्रभुढान) लघु जलाशय के निर्माण किये जाने हेतु भूमि व्यपवर्तन हेतु ग्रामसभा रातामाटी (प्रभुढाना) को कोई आपत्ति नही होने एवं लघु जलाशय निर्माण हेतु उपरोक्त चयनित भूमि रकबा 2.104 हेक्टेयर पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत व्यक्तिगत अधिकार , सामुदायिक अधिकार, अन्य पराम्परागत अधिकार,रूढ़िजन्य अधिकार एवं निस्तार के अधिकार निहित नही है एवं उक्त भूमि पर कोई भी अधिकार प्रभावित नही हो रहे है। उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि 2.104 हेक्टेयर पर ग्राम रातामाटी (प्रभुढाना) के कोई भी दावेदार को वन अधिकार का दावा दिया जाना शेष नही है। अतः उक्त भूमि पर कोई भी वन अधिकार का दावा ग्रामसभा में शेष नही है, इस संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा भी उक्त आशय का प्रमााण पत्र जारी किये जावे व भूमि मद व्यपवर्तन हेतु सभी सदस्यो द्वारा सहमति प्रदान कर सर्व सम्मति से निर्णय पारित कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग भैसेदही	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भैंसदेही	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही

SRK 2016

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 19.06.2018 का कार्यवाही विवरण।

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 19.06.2018 को अपरान्ह 3.30 बजे कलेक्टर बैतूल की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नांकित मान सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुये :-

क	नाम	पदनाम
1.	श्री शशांक मिश्र	कलेक्टर
2.	माननीय सूरजलाल जावरकर	अध्यक्ष जिला पंचायत/सदस्य
3.	श्री संजीव झा	वन मंलाधिकारी वनमंडल दक्षिण (सा) बैतूल
4.	श्री बी.एस. बिसोरिया	सहा.आयुक्त जनजातीय कार्य वि.बैतूल सदस्य/सचिव

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत ग्राम प्रभुढाना (रातामाटी) लघुजलाशय के व्यपवर्तन (Diversion) रकबा 7.002 हेक्टेयर पर क्लीएरेंस प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग-2 बैतूल की नस्ति सहा.आयुक्त बैतूल द्वारा नस्ति प्रस्तुत की गई।

नस्ति का अवलोकन कराया गया जिसमें ग्राम सभा रातामाटी में दिनांक 21.03.2018 को बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम सभा में कुल सदस्य 1579 के विरूद्ध 1072 सदस्य उपस्थित हुये उपस्थिति का प्रतिशत 67.89 रहा इसी प्रकार ग्राम चौकी में दिनांक 23.03.2018 को ग्राम सभा आयोजित की गई जिसमें कुल सदस्य 694 के विरूद्ध 490 सदस्य उपस्थित रहे उपस्थिति का प्रतिशत 70.60% रहा इन्ही प्रस्ताव के अनुरूप उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति भैसदेही और बैतूल द्वारा बैठक लेकर बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया है जिसमें परियोजना के व्यपवर्तन (Diversion) किये जाने की अनुशंसा की गई है। दिनांक 19.06.2018 को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी सदस्यों द्वारा परियोजना के व्यपवर्तन हेतु **सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि यूजर एजेंसी को क्लीएरेंस प्रमाण पत्र का प्रदाय किया जावे ।**

अंत में सहायक आयुक्त, बैतूल द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों/अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ती की घोषणा की गई।

(कार्यवाही सहा.आयुक्त, जनजाती कार्य विभाग बैतूल)

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग बैतूल

कलेक्टर
जिला - बैतूल

कार्यालय कलेक्टर, (जनजातीय कार्य विभाग) बैतूल
जिला-बैतूल, मध्यप्रदेश

E-mail Address- actw.btl@mp.gov.in Phone No. (07141) 234343 (O)

पृ.क्रमांक–/वन अधि./2018/13/4766 बैतूल,दिनांक 25 जून 2018

प्रतिलिपिः–

1– संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाऐं, भोपाल

2– माननीय सदस्य श्री ....

3– वन मंडलाधिकारी, वनमंडल दक्षिण (सामान्य) बैतूल

4– यूजर एजेंसी कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग–2 बैतूल

की ओर कृपया सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग बैतूल

(बैठक कार्यवाही विवरण)

आज दिनांक 09.05.2018 को दोपहर 2.30 बजे अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय बैतूल में वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

1. बैठक में जनपद पंचायत बैतूल एवं चिचोली से प्राप्त आवासीय एवं खेती हेतु पट्टा स्वीकृति हेतु प्रकरणों का पुनः परीक्षण कर पात्र पाये गये व्यक्तिगत प्रकरण पटटा स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय समिति की ओर भेजे जाने हेतु सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।
2. कलेक्टर महोदय (जन जातीय कार्य विभाग) बैतूल के पत्र क्र/2141 दिनांक 16.03.2018 के संदर्भ में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग..2 बैतूल द्वारा प्रभुढाना जलाशय हेतु ग्राम चौकी की ग्राम क्लीएरेंस प्रमाण पत्र चाहा गया है।

   संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत देवगांव के ग्राम चौकी में दिनांक 23.03.2018 को ग्राम सभा के आयोजन की कार्यवाही विवरण अनुसार ग्राम सभा में ग्राम सदस्यों को स्थानीय भाषा में समझाईश दी गई। बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के तहत प्रभावित ग्रामों में कोई भी दावा निराकरण हेतु शेष नहीं है, एवं कोई भी अधिकार व्यक्तिगत सामुदायिक....निस्तार, रूढीजन्य अन्य परम्परागत अधिकार प्रभावित नहीं होने से ग्राम सभा में प्रभुढाना जलाशय में ग्राम चौकी पटवारी हल्का नम्बर 22 की प्रभावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि रकबा 4.898 ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव (बैठक कार्यवाही विवरण) अनुसार उपखंड स्तरीय समिति में क्लीरेंस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु मान.सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान कर सर्व सम्मति से निर्णय पारित कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

   निर्णय की कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को उचित कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल — अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैतूल — सचिव
3. श्री चिरोंजीलाल कवडे अध्यक्ष जनपद पंचायत चिचोली (खापा) — सदस्य
4. श्रीमती संगीताबाई/ओझासिंग सदस्य ज.पं. चिचोली (चुडिया) — सदस्य
5. श्री अशोक भलावी सदस्य जनपद पंचायत बैतूल (सोहागपुर)सदस्य
6. उपवन मंडल अधिकारी (दक्षिण सामान्य बैतूल) — सदस्य

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सचिव
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति